


कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्य-उमावि के संबंध में जारी विभागीय पदोन्नति आदेश में कार्मिक के नाम के सामने अंकित कॉलम (कॉलम संख्या-4 के अनुसार) में उल्लिखितानुसार संशोधन एतद्वारा किया जाता है:-

क्र सं.	नाम अधिकारी	पदस्थापन स्थान	संशोधन
1	2.	3	4
1	श्री पवन कुमार वर्मा प्रधानाचार्य	राउमावि चांदन, जैसलमेर	विभागीय आदेश क्रमांक शिविरा/मा/ संस्था/बी-1/एपीओ पदस्थापन/ प्रधानाचार्य/2019 दिनांक 24.12.19 के क्र.सं 10 पर अंकित कार्मिक का नाम पवन कुमार शर्मा के स्थान पर पवन कुमार वर्मा पढा जावे।
2	श्री संदीप त्रिवेदी प्रधानाचार्य	राउमावि रोहिडा, बांसवाडा	विभागीय आदेश क्रमांक शिविरा/मा/बी-1/45002/प्रधाना / स्थानान्तरण /2019 दिनांक 24.12.19 के क्र.सं 02 पर अंकित कार्मिक का नवीन पदस्थापन स्थान में जिला डूंगरपुर के स्थान पर बांसवाडा वर्मा पढा जावे।
3	श्री हरमीत सिंह गिल प्रधानाचार्य	राउमावि सत्याया, जैसलमेर	विभागीय आदेश क्रमांक शिविरा/मा/ संस्था/बी-1/45002 /प्रधानाचार्य/ डीपीसी 2019-20/ वो-1/2019 /1-395 दिनांक 25.10.19 में क्र.सं 374 पर अंकित कार्मिक की जन्म दिनांक 01.06.1982 के स्थान पर दिनांक 01.08.1982 पढा जावे।


शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/बी-1/प्र0अ0/संशोधन/2019-20 दिनांक 27.12.19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

1. विशिष्ट सहायक, कार्यालय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) संभाग मुख्यालय।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
5. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
6. संबंधित कार्मिक /संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी
7. रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक-कार्मिक